महत्वपूर्ण

संख्या– 1236 /पांच–1–2018–5(19)/2018टी0सी0–1

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–एन0एच0पी0एम0,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2018**

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत आयुष्मान मित्र के चयन एवं तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–एन0एच0पी0एम0/पत्रा–431–बी/2018–19/484 दिनांक–01.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश सं0–2259/पांच–6–2018–5(19)/2018टी0सी0–1 दिनांक–27.07.2018 में 02 बिन्दुओं पर संशोधन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्रांक दिनांक–01.08.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के परीक्षणोपरान्त शासनादेश सं0–2259/पांच–6–2018–5(19)/2018टी0सी0–1 दिनांक–27.07.2018 के बिन्दु सं0–2 ("राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती हेतु आयुष्मान मित्र का चयन तथा मानदेय") के भाग–(क) में निम्नवत् अतिरिक्त व्यवस्था की जाती हैः–

"राजकीय चिकित्सालयों में "आयुष्मान मित्र" की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाय तथा जब तक राजकीय चिकित्सालयों में "आयुष्मान मित्र" का चयन पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक के लिए चिकित्सालय में कार्यरत किसी कर्मचारी को, जोकि "आयुष्मान मित्र" हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करता हो, को "आयुष्मान मित्र" नामित किया जाय।"

3– कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 शासन।

2– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ए0बी0–एन0एच0पी0एम0, लखनऊ।

3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4— मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
5— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।